HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 529 BNSS No. - 4823 of 2025

Smt. Ishrat Jahan

…..Applicant(s)

Versus

State of U.P. and 5 others

…..Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Ali Hasan, Nisar Ahmed
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A., Kedar Nath Mishra, Rishi Kumar Pandey, Shubham Tripathi

Court No. - 50

HON'BLE SHEKHAR KUMAR YADAV, J.

1–आदेश दिनांक 14–1–2026 के अनुपालन में उभय पक्ष (पति एवं पत्नी) न्यायालय के समक्ष उपस्थित है उनके द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में उनके मध्य कुछ मनमुटाव हो गया था जिसको वे हल करना चाहते है तथा साथ में रहकर अपना दम्पत्ति जीवन व्यतीत करना चाहते है।

2–आवेदिका पत्नी द्वारा विपक्षी संख्या 2 पति से यह आश्वासन मांगा गया है कि वह उसे तथा उसकी बच्ची को सम्मानपूर्वक रखेगा और भरण पोषण करेगा तो वह विपक्षी संख्या 2 पति के साथ जाने को तैयार है।

3–वहीं दूसरी ओर विपक्षी संख्या 2 पति द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि उनके मध्य पूर्व में जो कुछ घटना घटित हुई वह उन सब को भुलाकर अपनी पत्नी एवं बच्ची को अच्छी तरह से रखेगा और अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दिलायेगा।

4–उपरोक्त आधार पर विपक्षी संख्या 2 पति को आदेशित किया जाता है कि वे आपस में साथ रहे और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत

करे। यह भी आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष के परिवार वालो के द्वारा आपस में साथ रहने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा जिससे कि उनके आपस में एक साथ रहने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। यदि उभय पक्ष के परिवारवालों द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो इस सम्बंध में सम्बन्धित पुलिस को स्वतंत्रता होगी कि वे उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही करें।

5–विपक्षी संख्या 2 पति को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक **16–2–2026** को अपनी पत्नी/आवेदिका को उसके मायके जाकर सम्मानपूर्वक बिदा कराके ले जायेगा और जहां पर निवास करेगा वहीं पर आवेदिका को अपने साथ रखेगा।

6–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका पत्नी के मायके वाले ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगें जिससे कि विपक्षी संख्या 2 पति का अपमान हो यदि उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो भी सम्बन्धित पुलिस को यह अधिकार प्राप्त हागा कि वह उनके विरूद्व इस सम्बंध में उचित विधिक कार्यवाही निष्पादित करेगें।

7–तदनुसार इस वाद को दिनांक 23–3–2026 को नये वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

8–उपरोक्त नियत तिथि पर उभय पक्ष इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगें तथा अपने सुखम जीवन के बारे में न्यायालय को अवगत करायेगें।

(Shekhar Kumar Yadav,J.)

February 13, 2026
A.

Digitally signed by :-
AFAQ AHMAD
High Court of Judicature at Allahabad